प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्र. 433 / 2004 (एकल पीठ)

अपीलार्थी/ वादी

1) बालकराम, उम्र लगभग 62 वर्ष
आ. धुँधा उराओं निवासी ग्राम गोलाबुड़ा,
तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण / प्रतिवादीगण

: 1) श्रीमती मतिया बाई, उम्र लगभग 47 वर्ष,
आ. अंजू उरांव।

2) श्रीमती मुन्नी बाई, उम्र लगभग 50 वर्ष,
आ. अंजू उरांव।

3) श्रीमती रेमनी, उम्र लगभग 42 वर्ष, आ. अंजू उरांव।

सभी पेशे से कृषक है, निवासी – ग्राम लिपटी, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

4) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

5) चैतराम, उम्र लगभग 57 वर्ष, आ. – धुंधा उरांव।

6) A. श्रीमती गुरुबारी, उम्र लगभग 72 वर्ष, आ. – धुंधा।

B. श्रीमती मति बाई, उम्र लगभग 70 वर्ष, आ. – धुंधा।

C. श्रीमती फूलो बाई, उम्र लगभग 62 वर्ष, आ. – धुंधा

D. श्रीमती बुबिया बाई, उम्र लगभग 59 वर्ष, आ. – धुंधा।

E. श्रीमती देवो बाई, उम्र लगभग 57 वर्ष, आ. – धुंधा।

F. श्रीमती मटिया बाई, उम्र लगभग 54 वर्ष, आ. धुंधा।

निवासी – ग्राम गोलाबुड़ा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वितीय अपील अतर्गत धारा 100 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 ।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

द्वितीय अपील क्र. 433 / 2004

बालक राम

विरुद्ध

श्रीमती मतीया बाई एवं अन्य

निर्णय

03.01.2005

सही/–
श्री सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

**द्वितीय अपील क्र. 433 / 2004**

**बालक राम**

**विरुद्ध**

**श्रीमती मतीया बाई एवं अन्य**

---

**श्री बी आर घोष एवं श्रीमती मीरा जायसवाल, अपीलार्थी के ओर से अधिवक्ता।**

---

**निर्णय**

**(03.01.2005)**

**सुनील कुमार सिन्हा, माननीय न्यायाधीश**

ग्राहयता के प्रश्न पर सुना गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. वादीगणों में से एक वादीगण द्वारा यह अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2004 के विरुद्ध दायर की गई है जो की अपील क्रमांक 3–अ/2003 में माननीय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक न्यायालय), रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा पारित किया गया था, जो कि वाद क्रमांक 87–अ/1998 में सिविल न्यायाधीश, श्रेणी–1, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा दिनांक 31.10.2002 को पारित निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न हुई है।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

वादीगणों द्वारा वाद पत्र के अनुसूची 'क' में वर्णित कृषि भूमि (कुल 10 खसरे, क्षेत्रफल 10.797 हेक्टेयर) के संबंध में स्वामित्व की घोषणा एवं कब्जे की पुष्टि हेतु वाद प्रस्तुत किया गया वाद पत्र में यह उल्लेख है कि स्वर्गीय कोले उरांव की संपत्तियां ग्राम लिपटी एवं ग्राम गोलाबुड़ा में स्थित थीं। उनके दो पुत्र थे – धुंधा उरांव एवं अंजू उरांव। ग्राम लिपटी की भूमि दोनों भाइयों के बीच विभाजित हुई, जिसमें अंजू उरांव को प्राप्त आधे हिस्से को उन्होंने वसीयत–नामा के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 को दे दिया, तथा शेष आधा भाग

उनके भाई धुंधा के अधिपत्य में रहा। ग्राम लिपटी की संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। आगे यह आरोप है कि चूंकि स्वर्गीय अंजू उरांव का कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने वादी क्रमांक 1 (चैतराम) को दत्तक ग्रहण लिया, जो उनकी देखभाल करता था। धुंधा की मृत्यु 12.12.1970 को तथा अंजू की मृत्यु 17.05.1985 को हुई। वादीगण का यह विशेष कथन है कि वाद पत्र की अनुसूची–'क' में वर्णित ग्राम गोलाबुड़ा की संपूर्ण भूमि विभाजन में धुंधा को प्राप्त हुई थी, जो उक्त भूमि पर एकाधिकारपूर्वक अधिपत्य में रहा। धुंधा की मृत्यु दिनांक 12.12.1970 को होने के पश्चात वादीगण उत्तराधिकारी के रूप में उक्त भूमि के एकमात्र अधिपत्य में हैं तथा उत्तरवादी अथवा स्वर्गीय अंजू का उक्त संपत्ति में कोई अधिकार या हित नहीं था। वादीगण ने यह भी कहा कि वादीगण तथा उनके पूर्वज विगत 30–40 वर्षों से वाद भूमि पर एकाधिकारपूर्वक आधिपत्य में रहे हैं, अतः उन्होंने प्रतिकूल अधिपत्य के माध्यम से अपने स्वामित्व को सिद्ध कर लिया है। उन्होंने वाद पत्र के अनुच्छेद 9 में यह भी कथन किया है कि दिनांक 15.05.1984 को ग्राम लिपटी में एक पंचायत हुई थी और उक्त पंचायत में अंजू द्वारा एक सहमति पत्र संपादित किया गया। उक्त दस्तावेज़ के अनुसार, अंजू ने वाद भूमि, अर्थात ग्राम गोलाबुड़ा की भूमि के राजस्व अभिलेखों से अपना नाम हटवाने के लिए सहमति दी थी, किंतु दस्तावेज़ लेखक की त्रुटि के कारण इसे एक दानपत्र के रूप में दर्शा दिया गया, जो कि सही नहीं है, अतः इस दस्तावेज़ के आधार पर भी, अनुसूची–'क' में वर्णित संपत्तियों में जो भी अधिकार स्वर्गीय अंजू को प्राप्त था, वह उन्होंने वादकारियों के पक्ष में त्याग कर दिया, इस कारण वादीगण वाद भूमि के पूर्ण स्वामी हैं। वाद का कारण तब उत्पन्न हुआ जब अंजू की मृत्यु के पश्चात दिनांक 05.07.1985 को प्रतिवादीगण के नाम पर भी नामांतरण दर्ज कर दिया गया। वादीगण ने उपरोक्त आधारों पर यह दावा किया है कि वे उक्त संपत्ति के पूर्ण स्वामी हैं, अतः उनके पक्ष में उक्त आशय की डिक्री पारित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत कथनों का खंडन करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने यह कहा कि परिवार में इस प्रकार का कोई दत्तक ग्रहण नहीं हुआ था।

न तो परिवार में ऐसा कोई विभाजन हुआ था जिसमें अनुसूची–'क' में वर्णित भूमि स्वर्गीय श्री धुंधा के हिस्से में आई हो, और न ही वादकारीगण का वाद भूमि पर ऐसा पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जा रहा जिससे कि वे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व सिद्ध कर सकें। प्रतिवादीगण ने ग्राम पंचायत की घटना एवं उक्त पंचायत में किसी भी प्रकार का ऐसा दस्तावेज़ संपादित होने की बात को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया, जिसे सहमति पत्र अथवा त्यागपत्र के रूप में स्वीकार किया जा सके।

5. माननीय विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में विभिन्न विवाद्यकों की विरचना की गई और पक्षकारों के साक्ष्य अभिलेखन उपरांत वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादीगण उनके द्वारा अभिकथित विभाजन को सिद्ध नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी सिद्ध नहीं किया कि वे वाद संपत्तियों के एकमात्र कब्जाधारी हैं तथा प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से उन्होंने स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। वादकारीगण द्वारा दत्तक ग्रहण लिए जाने के तथ्य को भी सिद्ध नहीं किया जाना पाया गया तथा अंजू द्वारा धुंधा के पक्ष में अधिकार त्यागने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं हुआ ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध वादीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील को निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध, वादीगण में से एक के द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, क्योंकि वह दोनों न्यायालयों में वाद हार चुका है।

7. अपीलार्थि के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह निर्धारण करने में विधिक त्रुटि हुई है कि वादीगण परिवार में ऐसा कोई विभाजन सिद्ध नहीं कर पाए जिसमें वाद पत्र की अनुसूची–'क' में वर्णित भूमि उनके हिस्से में आई हो। उन्होंने आगे यह भी अभिकथित किया कि एक वैध दत्तक ग्रहण लिया जाना तथा सतत् अधिपत्य, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल अधिपत्य के माध्यम से स्वामित्व सिद्ध होता है, यह भी प्रमाणित किया गया है। साथ ही यह भी अभिकथित किया गया कि त्याग से

संबंधित एक दस्तावेज़ का संपादन भी सिद्ध किया गया है, और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह कहना कि उक्त दस्तावेज़ वादीगण के पक्ष में कोई पूर्ण अधिकार या हित उत्पन्न नहीं करता, विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

8. मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता की विस्तृत रूप से अभिव्यक्ति सुनी गई तथा आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री के साथ–साथ अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

9. दत्तक ग्रहण लिए जाने से संबंधित प्रथम अभिवाक अभिलेख में किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 8 में इस विषय पर विचार किया गया है। वादी पक्ष से केवल वाद साक्षी.1 बालक राम का सामान्य कथन आया है। अभिलेख में ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि वास्तव में वादी क्रमांक 1 को मृतक ने अपने पुत्र के रूप में दत्तक ग्रहण किया था। न तो दत्तक ग्रहण लेने और देने की शारीरिक क्रिया का कोई स्पष्ट अभिवाक प्रस्तुत कीया गया है, और न ही उसे विधि के अनुसार प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, वादीगण द्वारा जो दत्तक ग्रहण लिए जाने का अभिकथन किया गया है, वह सिद्ध नहीं हुआ है, और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसे असिद्ध मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विभाजन से संबंधित अभिवाक पर भी विवाद्यक क्रमांक 1 के उत्तर में विचार किया गया है, और वादी का एक मात्र सामान्य कथन छोड़कर अभिलेख में ऐसा कोई अन्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि परिवार में विभाजन हुआ था और उस विभाजन में वाद पत्र की अनुसूची–'क' में वर्णित भूमि स्वर्गीय धुंधा के हिस्से में आई थी जिस पर अंजू का कोई अधिकार या हित नहीं रहा।

11. अब प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व सिद्ध करने संबंधी तर्क पर विचार करते हुए, यह न्यायालय केवल इतना कह सकता है कि इस विषय पर विधि पूर्णतः स्थापित है। सह–स्वामियों या सह–भागियों के बीच प्रतिकूल अधिपत्य तब तक नहीं माना

जा सकता जब तक कि स्वामित्व का प्रत्याख्यान और अन्य को उसके ज्ञान में लाकर उससे बेदखल न किया गया हो। यह निर्धारित करने हेतु कि किसी विशिष्ट मामले में सह–स्वामी का कब्जा दूसरे के प्रति प्रतिकूल है या नहीं, कोई सर्वमान्य सूत्र नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, स्वामित्व के प्रत्याख्यान और प्रतिकूल रूप से रखने के आशय को स्पष्ट एवं बिना किसी संशय के आचरण द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। कृपया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय, वर्ष 1992 एम.पी.एल.जे., पृष्ठ 79 (बिहारीलाल, पिता रामलाल बनाम जगन्नाथ, पिता रामलाल) को देखें। इसी विषय पर विचार करते हुए, माननीय न्यायाधीश ने अपने निर्णय के अनुच्छेद 14 में कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय ए आई आर 1930 कोलकाता 466 (अब्दुल वाहिद बनाम मोहन बाशी साहा एवं अन्य) का अवलंब लेते हुए दोहराया है कि— "संयुक्त परिवार की संपत्ति से वंचित किए जाने या बेदखली की जानकारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध किया जा सकता है।" उपरोक्त निर्णय, जो 1992 एम.पी.एल.जे., पृष्ठ 79 में प्रकाशित है, में स्थापित सिद्धांत इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "वह प्रतिकूल अधिपत्य, जिससे सह–स्वामी का स्वामित्व समाप्त हो जाए, सह–स्वामी की सिद्ध जानकारी में प्रतिकूल होना चाहिए, चाहे वह अधिपत्य कितना भी प्रसिद्ध या प्रकट क्यों न हो। अपवर्जन या बेदखली केवल निष्कासित करने वाले व्यक्ति की क्रिया मात्र नहीं होती, बल्कि निष्कासित व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी समाहित करती है। अतः निष्कासित पक्ष की जानकारी अनिवार्य है। ऐसी जानकारी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सिद्ध किया जा सकता है। परोक्ष सूचना के सिद्धांत के आधार पर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि जिस सह–स्वामी के विरुद्ध अधिपत्य किया गया था, उसे ऐसे तथ्यों की पर्याप्त सूचना थी या ऐसी जानकारी प्राप्त थी, जो एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति को जाँच–पड़ताल करने के लिए प्रेरित करती और जिसके प्राप्त होने पर एक साधारण सतर्क व्यक्ति यह समझ सकता था कि उसे संपत्ति से वंचित कर

दिया गया है। विधि यह नहीं मानती है कि एक असावधान सह–स्वामी को अनिवार्य रूप से क्षति उठानी पड़े। निष्कासन की जानकारी उस पक्ष की ओर से होना अनिवार्य है।"

वर्तमान प्रकरण में वादीगण द्वारा न तो इस प्रकार की कोई अभिवाक प्रस्तुत किया गया है और न ही उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार प्रतिकूल अधिपत्य के तथ्य को सिद्ध किया गया है।

12. अंजू द्वारा संपत्ति के त्याग से संबंधित प्रश्न भी सिद्ध नहीं हो सका है, क्योंकि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से यह पाया है कि वादकारीगण उक्त तथ्य को विधि के अनुरूप सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस न्यायालय का मत है कि अपिलार्थी द्वारा वर्तमान स्तर पर उठाए गए सभी प्रश्न तथ्यों से संबंधित हैं, और उन पर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा विचार कर समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। इस न्यायालय ने भी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है और इस न्यायालय की राय में कोई भी ऐसी गंभीर त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती, जिसके आधार पर द्वितीय अपीलीय चरण में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। अतः उपर्युक्त विषयों से संबंधित तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अंततः, अपिलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 इस मामले में लागू नहीं होता है, अतः प्रतिवादीगण, जो कि पुत्रियाँ हैं, अपने पिता की संपत्ति को ग्रहण नहीं कर सकतीं, और इसलिए उक्त संपत्तियाँ केवल परिवार के पुरुष सदस्यों पर ही उत्तराधिकारस्वरूप न्यागत होंगी। वास्तव में यह तर्क इस सिद्धांत पर आधारित है कि पुत्रियों का संपत्ति में केवल जीवनकालीन अधिकार होता है, और वे उसे अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं कह सकतीं। इस तर्क के प्रकाश में, पहले वाद पत्र को देखा जाना आवश्यक है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में इस प्रकार का कोई अभिवाक नहीं लिया है, न ही उन्होंने आदिवासी

समुदाय में पुत्रियों के अधिकारों के आधार पर कोई ऐसा आधार लिया है और न ही कोई विधि या प्रथा प्रस्तुत की है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनकी जाति में संपत्ति का उत्तराधिकार किस प्रकार होता है। वाद पत्र की अभिवाक तथा उसमें मांगे गए अनुतोष इस न्यायालय को इस दिशा में विचार करने की अनुमति नहीं देते। वाद पत्र में मुख्य रूप से मांगी गई राहत इस प्रकार उद्धृत है —

> "(1) **घोषित किया जावे कि ग्राम गोलाबुड़ा, पह. क्र. 10 में स्थित भूमि, कुल ख. सं. 10, कुल रकबा 10.797 हेक्टेयर के वादीगण ही अनन्य रूप से भूमि स्वामी हैं एवं प्रतिवादी गण क्रमांक 1 लगायत 4 का उस भूमि पर कोई स्वत्वाधिकार नहीं है।"**

यहां तक कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिवाकों के आधार पर भी उपरोक्त अनुतोष प्रतिवादीगण के जीवनकाल में प्रदान नहीं कीया जा सकता, क्योंकि वादीगण को उक्त संपत्तियों के पूर्ण स्वामित्व की घोषणा नहीं दी जा सकती जबकि उसमें उन अधिकारों या हितों (जिन्हें स्वयं वादीगण ने "जीवनकालीन अधिकार" माना है।) को पूरी तरह से निष्कासित करना हो, अतः, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह आधार भी असफल रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्ष 1976 में किए गए संशोधन के प्रारंभ के पश्चात, इस न्यायालय की द्वितीय अपील की सुनवाई की अधिकारिता सीमित हो गई है, जो केवल उन्हीं अपीलों में प्रयोज्य है जिनमें कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न निहित हो। कृपया सर्वोच्च न्यायालये द्वारा पारित निर्णय **(2000) 3 SCC 708 [रूप सिंह (मृत) विरुद्ध राम सिंह (मृत), उनके विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से]** देखें, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता केवल उन्हीं अपीलों तक सीमित है जिनमें कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न शामिल हो तथा यह धारा उच्च न्यायालय को केवल तथ्यों से संबंधित प्रश्नों में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि संशोधित धारा 100 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए किसी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न पूर्व भावी

आवश्यक शर्त है, और जब तक ऐसा प्रश्न उपस्थित न हो, तब तक अपील की सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। **कृपया इस संदर्भ में निर्णय *थियागराजन एवं अन्य बनाम श्री वेणुगोपालस्वामी बी. कोइल एवं अन्य* [(2004) 5 SCC 762] भी देखा जाए।**

15. इस न्यायालय की राय में विचारार्थ कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उपस्थित नहीं है। अतः यह अपील विफल पाई जाती है और ग्राह्यता के चरण पर ही निरस्त की जाती है, तथा व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

**सही/-**
**श्री सुनील कुमार सिन्हा**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Adv. Shikhar Bakhtiyar